



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 667 राँची, मंगलवार,

29 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

03 दिसम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-53/2019-12122 (HRMS)-- श्री कौशल कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-214/स्था0, दिनांक-27.05.2019 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

(i) श्री कौशल कुमार, अंचल अधिकारी, बोरियो द्वारा वर्ष 2013 में अपने पत्रांक-295/रा0 दि0 20.09.2013 द्वारा पेंशनधारी स्व0 मैसा पहाडिया, पिता स्व0 सुरजा पहाडिया, ग्राम-देवपहाड़, पंचायत-बीरबल कांदर, अंचल-बोरियो को जीवित रहते हुए मृत अंकित कर पेंशन पोर्टल से नाम हटाने हेतु गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

(ii) श्री कुमार द्वारा अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, जो इनके लापरवाही को दर्शाता है ।

(iii) श्री कुमार द्वारा प्रतिवेदन भेजने के पूर्व स्व0 मैसा पहाडिया का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया ।

(iv) श्री कुमार के गलत प्रतिवेदन के कारण ही पेंशनधारी का नाम पेंशन पोर्टल से कट गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9756, दिनांक 05.12.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-521, दिनांक 24.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है -

(i) आरोप संख्या-1 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2013 में जो सूची अंचल कार्यालय, बोरियो के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग, साहेबगंज को भेजी गई थी। वह सूची तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक श्री रंजीत कुमार रंजन, राजस्व उप निरीक्षक श्री अजय कुमार मंडल एवं अंचल निरीक्षक श्री ललन कुमार मेहरा के द्वारा जांचोपरान्त तैयार किया गया था। चूँकि राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एक क्षेत्रीय कर्मी होने के नाते इनका पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि स्वयं स्थल पर जाकर शत-प्रतिशत पूछताछ कर जांचोपरान्त पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर ही जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को समर्पित करें। यदि किसी पेंशनधारी का जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को गलत समर्पित किया गया तो इसके लिये तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक पूर्णरूपेण दोषी एवं जिम्मेवार होते हैं।

(ii) आरोप संख्या-2 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि जो सूची सामाजिक अंकेक्षण के उपरान्त राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किया गया था, उस सूची को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंचल कार्यालय, बोरियो के जापांक-3(मु0)/रा0 दि0 04.09.2013 के द्वारा नोटिस के माध्यम से दावा आपत्ति करने हेतु पंचायत भवन के सूचना पट्ट में चिपकाने एवं अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट में चिपकाने हेतु निदेशित किया गया था तथा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त पेंशनधारियों की सूची को ग्रामसभा में भी सत्यापित कराया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान श्री खगडु पहाडिया, तत्कालीन मुखिया श्री धर्मा पहाडिया, पंचायत सचिव एवं पंचायत समिति सदस्य पंचायत बीरबल कादर एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। जिसमें किसी के द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सूची पर दावा या आपत्ति नहीं की गई थी एवं पेंशन पोर्टल से नाम हटाने की अनुशंसा ग्रामसभा के द्वारा की गई थी। मेरे द्वारा इसमें कहीं भी लापरवाही नहीं बरती गई, अपितु नियमानुसार कार्रवाई की गई थी।

(iii) आरोप संख्या-3 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत तत्कालीन मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रेषित पत्र जापांक-06/एन0एस0ए0पी0 (कार्यान्वयन) 510/2012-352, राँची दि0 11.07.2012 कंडिका-(6) एवं (7) में दिये गये निदेश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। इसमें कहीं भी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का स्पष्ट निदेश नहीं था।

(iv) आरोप संख्या-4 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा कोई गलत प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था। अपितु नियमानुसार सभी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सूची को सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, साहेबगंज को अग्रत्तर कार्रवाई हेतु भेजी गई थी। इसमें उनके द्वारा कहीं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं बरती गई है।

विभागीय पत्रांक-3868 दि0 06.08.2020 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-443/स्था0 दि0 03.10.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई है।

अतः समीक्षोपरांत उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कौशल कुमार, झा0प्र0से0 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KAUSHAL KUMAR 111001165701	श्री कौशल कुमार, झा0प्र0से0,(तृतीय बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
